

FIR / Police Complaint Drafter

दस्तावेज़ प्रकार : पत्र / नोटिस · तैयार किया गया 15 Oct 2026

यह गाइड बताती है कि यह टूल क्या बनाता है, उसका उपयोग कैसे करें, और किन बातों का ध्यान रखें। टूल का वास्तविक आउटपुट (ड्राफ्ट/रिपोर्ट) टूल पेज पर बनता है।

पृष्ठभूमि

प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) या पुलिस शिकायत — स्पष्ट कालक्रम, सही दंड-धाराएँ (BNS/IPC व कोई विशेष कानून), अभियुक्त व गवाह विवरण, और माँगी गई कार्रवाई सहित — यह टूल तैयार करता है, ताकि पुलिस दर्ज कर कार्रवाई करे, और थाना FIR दर्ज करने से मना करे तो escalation भी।

इस टूल और आउटपुट का उद्देश्य

सही कानूनी धाराओं, स्पष्ट कालक्रम व राहत सहित FIR या पुलिस शिकायत तैयार करना।

आउटपुट का उपयोग कैसे करें

तैयार FIR/शिकायत — कालक्रम, सही दंड-धाराएँ (BNS/IPC व विशेष कानून), अभियुक्त/गवाह विवरण व राहत — का उपयोग थाने में दाखिल करने, और थाना दर्ज करने से मना करे तो escalation (SP/मजिस्ट्रेट को धारा 175(3) BNSS) के लिए करें।

यह किसे दिया जाता है

क्षेत्राधिकार वाले थाने का थानाध्यक्ष (SHO); मना करने पर पुलिस अधीक्षक (SP) और फिर मजिस्ट्रेट (धारा 175(3) BNSS / 156(3) CrPC)□

कैसे जमा करें / दाखिल करें

शिकायत थाने में दें व FIR प्रति व संख्या सहित दर्ज कराएँ; मना करने पर SP को लिखित भेजें, और फिर भी दर्ज न हो तो मजिस्ट्रेट आवेदन दाखिल करें।

इसकी जाँच किससे कराएँ

अपराधिक वकील — सही धाराओं व मामला संज्ञेय (cognizable) है या नहीं की पुष्टि, और दर्ज-करने-से-मना escalation संभालने के लिए।

महत्वपूर्ण सावधानियाँ

झूठी या बढ़ा-चढ़ाकर दी FIR स्वयं अपराध है, और सही धाराएँ व संज्ञेय/असंज्ञेय वर्गीकरण तय करते हैं पुलिस को कैसे कार्रवाई करनी है; थाना संज्ञेय अपराध दर्ज करने से मना नहीं कर सकता। गंभीर मामले में वकील से समीक्षा कराएँ।

साथ के दस्तावेज़

इस टूल के लिए पोर्टल पर संबंधित दस्तावेज़ सूचीबद्ध नहीं हैं।

यह एआई-सहायित मार्गदर्शन है। किसी भी बाध्यकारी निर्णय से पहले योग्य पेशेवर से पुष्टि करें। शुल्क, प्राधिकरण और प्रक्रियाएँ राज्य और समय के अनुसार बदलती हैं — अपने राज्य के प्राधिकरण से सत्यापित करें।